उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(CIN : U32201UP1999SGC024928)

संख्याः4695–गोपन–06/पाकालि/2018–13–सा0गो0/2011 दिनांकः 16 अगस्त, 2018

(1) समस्त मुख्य अभियन्ता, स्तर–1 व स्तर–2,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 ।

(2) समस्त अधीक्षण अभियन्ता,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 ।

विषयः– चरित्र पंजिका में वार्षिक प्रविष्टि करने हेतु निर्देश ।

महोदय,

आप सहमत होंगें कि कारपोरेरेशन की सेवाओं में लगभग सभी स्तरों तथा प्रशासन के समस्त अधिष्ठानों में तैनात समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के बारे में जितना महत्व चरित्र पंजिकाओं के रखरखाव का है, उतना शायद ही किसी विशिष्ट कार्यवाही का हो । किसी भी पद पर चयन हो जाने के बाद ऐसी समस्त सेवाओं में जिनमें चरित्र पंजियों के रखरखाव की व्यवस्था है, किसी भी अधिकारी /कर्मचारी के कार्य कलाप, उसकी प्रतिभा ,उपयोगिता तथा परख आदि के बारे मे चरित्र पंजियॉ अच्छी कसौटी पायी जाती हैं । यही नहीं बल्कि अधिकारियों/कर्मचारियों के सर्वांगीण कार्य, स्थायीकरण, पदोन्नति, सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ACP) तथा भावी कैरियर के मूल्यॉकन का दायरा और व्यापक होकर समस्त विभागों तथा कार्यालयों के कियात्मक ढॉचे, कार्य कुशलता तथा जन साधारण को उपलब्ध प्रशासन के स्वरूप और छवि (ईमेज) को भी नियोजित करता है । अतएव इस अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य के बारे में अधिकार प्रविष्टिकर्ताओं को दिये गये हैं ।

2– सेवा संवर्गो में अधिकारियों के कैरियर प्लानिंग तथा कैडर मैनेजमेन्ट जैसे महत्वपूर्ण प्रकरणों पर कारगर कार्यवाही हेतु चरित्र पंजिकाओं की प्रविष्टियों का महत्व निर्विवाद है ।

3– इसी संदर्भ में अवगत हों कि कारपोरेशन द्वारा प्रत्येक प्रतिवेदन वर्ष में आदेश संख्या–824–काविनी दिनांक 18.04.1996 में निहित प्राविधानों के अर्न्तगत दिनांक 15 जुलाई तक वार्षिक गोपनीय आख्याओं को कारपोरेशन में उपलब्ध कराये जाने हेतु निदेश जारी किये जाते हैं । प्रतिवेदन वर्ष 2017–18 (अवधि दि:01.04.17 से 31.03.2018) हेतु कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–839–दिनांक 07.04.2018 द्वारा भी दिशा निर्देश जारी किये गये हैं ।

4– कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1904–गोपन–06/पाकालि/18–13–सा0गो0/11 दिनांक 23.07.18 द्वारा प्राविधानित किया गया है कि ऐसे अधिकारी जो पावर कारपोरेशन अथवा सहयोगी विद्युत वितरण निगमों की सेवा में कार्यरत हैं, अथवा प्रतिनियुक्ति से वापस लौटने के पश्चात भारत सरकार अथवा राज्य सरकार में कार्यरत हैं, उनके अपने पद से स्थानान्तरित होने के उपरान्त प्रतिवेदक/समीक्षक/अन्तिम अधिकारी के रूप में उनका मूल्यॉकन/अभिमत अंकित कराना आवश्यक है साथ ही प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकर्ता अधिकारी (अन्तिम अधिकारी) के सेवानिवृत्ति होने की स्थिति में, सेवानिवृत्ति की तिथि के उपरान्त एक माह की अवधि में उनका अभिमत/मूल्यांकन वार्षिक गोपनीय आख्याओं में अंकित कराने का निर्णय लिया गया है ।

5– उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की सहयोगी विद्युत वितरण कम्पनियों/निगमों की आधारभूत संरचना समुचित रूप से विकसित हो जाने किन्तु इनकी मेरूदण्डीय वित्तीय व्यवस्था को सबल एवं सुदृढ़ बनाये जाने की अनिवार्यता के दृष्टिगत राजस्व वसूली को प्राथमिकता प्रदान करने के उद्वेश्य से इन विद्युत वितरण कम्पनियों/निगमों में तैनात अभियन्ता अधिकारियों की चरित्र पंजिकाओं में वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों का अंकन हेतु कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–5111–गोपन–06/दिनांक 29.08.2017 द्वारा प्रतिवेदक/समीक्षक/सह समीक्षक एवं स्वीकर्ता अधिकारी (अन्तिम अधिकारी) नामित हैं ।

... . 2

6– उपरोक्त बिन्दु–4 के अनुसार समय सीमा के अन्दर अभियन्ता अधिकारियों / गैर अभियन्ता अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय आख्याओं में मूल्यॉकन / अभिमत अंकित न कराने की दशा में प्रतिनियुक्ति पर तैनात प्रतिवेदक / समीक्षक / स्वीकर्ता (अन्तिम) अधिकारियों के स्थानान्तरित होकर अन्यत्र तैनात होने की स्थिति में वार्षिक गोपनीय आख्याओं को पूर्ण कराने हेतु उन्हें उनकी नवतैनाती स्थल पर भेजना पड़ेगा, जिससे वार्षिक गोपनीय आख्याओं को पूर्ण कराये जाने में अनावश्यक विलम्ब होगा और कार्मिकों के सेवालाभ यथा पदोन्नति हेतु चयन, सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ACP) आदि प्रभावित होंगें ।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि कृपया अभियन्ता / गैर अभियन्ता अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय आख्याओं को कारपोरेशन मुख्यालय को अग्रसारित करने से पूर्व इस बात का ध्यान रखें कि उपरिवर्णित निर्देशों के अनुसार उनकी वार्षिक आख्यायें पूर्ण हों और तदोपरान्त उन्हें कारपोरेशन मुख्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें ।

7– सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों से भी अपेक्षा की जाती है कि वे सेवानिवृत्ति की तिथि को अपने नियंत्रणाधीन अधिकारियों जिनके वे प्रतिवेदक / समीक्षक / स्वीकर्ता (अन्तिम) अधिकारी हैं, की वार्षिक गोपनीय आख्याओं में अपना मूल्यांकन अवश्यमेव अंकित कर दें ।

उपरोक्त के आलोक में आप से पुनः अपेक्षा की जाती है कि कारपोरेशन द्वारा समय–समय पर ज़ारी किये गये आदेशों / निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)
निदेशक(का0प्र0 एवं प्रशासन)

संख्या–4695–गोपन–06 / पाकालि / 2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव ।
(2) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव ।
(3) अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 / उ0प्र0जल विद्युत निगम लि0 के निजी सचिव ।
(4) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव ।
(5) प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल / पूर्वांचल / पश्चिमांचल / दक्षिणांचल / विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ / वाराणसी / मेरठ / आगरा / केस्को, कानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे अपने अधीनस्थों को उपरोक्त वर्णित निर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु यथोचित निर्देश अपने स्तर पर भी देने का कष्ट करें।
(6) समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 / निदेशक (का0प्र0एवं प्रशा0),उ0प्र0पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ ।
(7) अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
(8) समस्त मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक, उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 / उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, ।
(9) मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ ।
(10) अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ ।
(11) उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ ।
(12) सचिव, उ0प्र0 राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ ।
(13) कारपोरेशन मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण।
(14) अधिशासी अभियन्ता (वेव) शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेव साइट पर अपलोड करने हेतु ।

आज्ञा से,

16/8/18

(कैलाश चन्द्र जोशी)
अनुसचिव (गोपन)